

फरम संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कारवाई व
बारे में टिप्पणी
तारीख के साथ

1

2

3

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

विविध वाद सं0 – 45/2016—■
¹⁵⁻

गोपाल सिंह मानकी

— आवेदक।

—बनाम्—

राज्य एवं मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. झारखण्ड स्टील लिमिटेड वैग0 — विपक्षी।

आदेश

30.1.18

आवेदक (1) गोपाल सिंह मानकी, (2) त्रिवेणी सिंह मुण्डा, (3) मनी नाथ सिंह मुण्डा सभी पिता स्व0 लक्ष्मी कान्त सिंह मुण्डा, (4) श्याम सुन्दर सिंह मानकी, (5) उदय नाथ सिंह मानकी दोनो स्व0 फुटु सिंह मानकी, (6) दुर्गा प्रसाद सिंह मानकी पिता स्व0 प्रहलाद सिंह मानकी एवं (7) हरिहर सिंह मुण्डा पिता दुर्गा प्रसाद मानकी सभी जाति मुण्डा (अनुसूचित जनजाति) निवासी – चौकाहातु, थाना सोनाहातु, जिला रॉची ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 241 के तहत मेसर्स जे.एस. डब्ल्यू. झारखण्ड स्टील लिमिटेड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, श्री रामनाथ चौबे पिता स्व0 एस0 एन0 चौबे एवं राजीव कुमार गुप्ता पिता स्व0 श्रीचन्द्र गुप्ता एवं नवीन कुमार औझा पिता स्व0 शैलेन्द्र कुमार औझा एवं श्री बसवराज दलगडे पिता स्व0 महादेवप्पा दलगडे, बी0 – 236, भूतल, रोड सं0 03, अशोक नगर, जिला रॉची के साथ

ग्राम	थाना सं0	खेवट सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (एकड़)
चौकाहातु	3	3/1	483	1005	2.42

कुल रकबा – 2.42 एकड़

भूमि बिक्री करने की अनुमति के लिये आवेदन पत्र दिया है, इसी के आधार पर इस विविध वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा आवेदन पत्र की जाँच भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू से कराई गई। प्रस्तुत मामले में भूमि सुधर उप-समाहर्ता बुण्डू रॉची ने पत्रांक 33/रा0 दिनांक 11.01.2018 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन

1
गोपाल सिंह

क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश गई कारवा, बारे मे टिप्पा तारीख के साथ
1	2	3
	<p>समर्पित किया है जो इस अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन का आवलोकन किया। प्राप्त जॉच प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि खतियान मे रैयत कीनु मॉझी वगैहर के नाम पर दर्ज है। खेवटदार दलु चटर्जी खेवट सं0 32 दर्ज है। खेवट की भूमि का किस्म ब्रह्मोत्तर दर्ज है। खेवट सं0 32 की भूमि खेवट सं0 3/1 खेवटदार से प्राप्त था। ओवदकगण खेवट सं0 3/1 के वंशज के हैसियत से विक्री करना चाहते है। आवेदन ने शपथ पत्र सं0 684 दिनांक 09.02.2016 के कंडिका 04 मे वर्णित किया है कि भूमि मुण्डारी खुटकट्टी जमीन्दार (विक्रेता) के दखल मे है, जबकि भौतिक सत्यापन मे दखल कब्जा खतियानी रैयत का है।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू ने अपने उपरोक्त प्रतिवेदन द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मुण्डारी खुटकट्टी के जमीन्दार द्वारा लिखित आपत्ति दी गई है कि :— कम्पनी द्वारा रैयतो को 90 प्रतिशत एवं जमीन्दार को .10 प्रतिशत दिया जाता है। और रैयतो को अपना जमीन का हक नही बना कर जमीन्दार को सर्वे सर्वा बनाया गया है। कम्पनी भूमि के क्रय विक्रय के क्रम मे परमिशन एवं रजिस्ट्री पट्टा में खतियानी रैयत के वंशजों को पक्षकार नही बनाया जा रहा है, जबकि भूमि का दखल उन्ही के पास निहित है साथ ही जमीन का कुल मुल्य का 90 प्रतिशत राशि रैयतो को दिया जा रहा है। कम्पनी द्वारा अभी तक लगभग हजारो एकड़ मिनी क्रय की गई है, परन्तु भूमि पर किसी प्रकार का दखल नही लिया गया है और न ही जनहित के दृष्टिकोण से क्रय भूमि पर किसी तरह का निर्माण नही किया गया है। कम्पनी द्वारा दस वर्ष पूर्व निर्धारित दर पर ही क्रय किया जा रहा है। जबकि सरकारी दर हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कम्पनी द्वारा पूराने दर पर ही भुगतान किया जा रहा है। इसे ध्यान मे रखते हुए नयी दर पर क्रय करना चाहिए। मुण्डारी खुटकट्टी जमीन्दार पराम्परा के अनुसार वंश मे बड़ा होता है वह स्वतः जमीन्दार (मालिक) बनता है और रैयत का अधिकार नही बनता है।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू ने अपने उपरोक्त प्रतिवेदन द्वारा छो0 का०</p>	

संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कारवाई व
बारे मे टिप्पणी
तारीख के साथ

१


२

३


अधिन की धारा 49/241 के तहत प्रस्तुत भूमि बिक्री अनुमति वाद को खारीज करने की अनुशंसा की है।

अतः भूमि सुधार उपसमाहत्ता, बुण्डू के प्रतिवेदन द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक मे आवेदकगण द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 241 के तहत प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित



उपायुक्त,
रॅची।



उपायुक्त,
रॅची।